बीज उत्पादन

वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान

किसान की उन्नति से ही हमारे पूरे प्रदेश की प्रगति संभव है। हमने किसान भाइयों के लिए राज्य में कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। आप सभी उनका फायदा उठायें व परम्परागत खेती के साथ ही खेती के नये तरीकों व तकनीकों को अपनाएं।

हरित क्रांति, पीत क्रांति, श्वेत क्रांति व नीली क्रांति अब तक हो चुकी हैं, अब हमारा सपना राज्य में सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution) लाने का है। इसके लिए हमारी सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है।

प्रभुलाल सैनी
कृषि मंत्री, राजस्थान

राज्य के विकास में हमारा मेहनतकश किसान एक अहम कड़ी है। राजस्थान सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई कम पानी, कम लागत, अधिक उत्पादन, उच्च तकनीक, संरक्षित खेती, अधिक मूल्य वाली फसलें उगाना आदि नवाचारों को अपनाएं ताकि उनकी आय बढ़े।

बीज उत्पादन

बीज खेती में काम में आने वाला एक महत्व आदान है, जिसकी गुणवत्ता पर खेती की सम्पूर्ण पैदावार निर्भर करती है। अतः बीज की गुणवत्ता उच्च स्तर की बनी रहें, इसके लिए आवश्यक है कि बीज उत्पादन तकनीक में वैज्ञानिक विधि अपनायी जाए व उन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाए जिनसे बीज की गुणवत्ता सीधी प्रभावित होती है।

बीज उत्पादन प्रक्रिया एक वैज्ञानिक विधि है, जिसके द्वारा भौतिक व आनुवांशिक शुद्धता, उच्च अंकुरण क्षमता, रोग रहित एवं अधिक पैदावार की क्षमता वाले बीजों का उत्पादन किया जाता है।

बीज उत्पादन में भाग कैसे लें

कोई भी कृषक जिसकी स्वयं की कृषि योग्य भूमि है व सिंचाई का निश्चित साधन है, निगम के बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग ले सकता है। कृषक को अधिकतम 20 हैक्टेयर व न्यूनतम 1.2 हैक्टेयर क्षेत्र में ही बीज उत्पादन आवंटित किया जायेगा।

बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु कृषक को पंजीकरण कराना अनिवार्य है जिसके लिए उसे अपने क्षेत्र के निगम कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर निर्धारित पंजीकरण फॉर्म व निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराना आवश्यक है। निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रजनक/

आधार/प्रमाणित बीज की बुवाई बताई गई विधि के अनुसार ही करनी होती है तथा अन्य बीज का मिश्रण वर्जित है।

बीज उत्पादन में ध्यान देने योग्य बातें

बीज उत्पादन हेतु निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रजनक/आधार/प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें तथा अन्य बीज का मिश्रण न होने दे।

बीज के खाली थैले, टैग, लेबल, बिल आदि को स्त्रोत सत्यापन हेतु बीज प्रमाणीकरण संस्था या निगम प्रतिनिधि को प्रस्तुत करें।

बुवाई से पूर्व सीडड्रिल, गहाई से पूर्व थ्रेसर/कम्बाइन व खलिहान को अच्छी तरह से साफ कर लें ताकि अन्य फसल/किस्मों की मिलावट नहीं हो।

बीज की आनुवांशिक शुद्धता बनाये रखने हेतु पृथक्करण दूरी का विशेष ध्यान रखें।

बीज उत्पादन क्षेत्र से विजातिय, रोगग्रस्त पौधें, आपत्तिजनक खरपतवार अन्य फसल पौधे आवश्यक रूप से हटायें।

बीज फसल में खाद, सिंचाई, दवा छिड़काव आदि का उपयोग विभागीय सिफारिशों के अनुसार करें।

पुरानी बोरियों को भी बीज भरने से पूर्व अच्छी तरह साफ कर ले।

उत्पादित बीज को बोरियों में भरने से पूर्व सुखाकर साफ कर ले तथा समान वजन की बोरियों में भरकर व अपना मार्का व बुकरम पर्ची लगाकर तत्काल केन्द्र पर पहुँचाये। ।

बीज प्रमाणीकरण अधिकारी से क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करें व विधायन केन्द्र पर 'रॉ बीज' के साथ प्रस्तुत करें।

उत्पादित रॉ बीज की गुणवत्ता सही नहीं होने पर रॉ बीज प्राप्त नहीं किया जायेगा।

जौ की प्रमुख किस्में और उनकी विशेषताएं

किस्म	पकने की अवधि (दिन)	औसत उपज (क्विं. प्रति हैक्टेयर)	विशेष गुण
आर.डी. –2035	115–120	65–75	वर्ष 1994 में अधिसूचित यह किस्म सिंचित क्षेत्रों में समय पर बुवाई हेतु उपयुक्त है। पौधों की ऊंचाई 75–87 सेमी, फुटान अधिक, बालियां मध्यम लम्बी, दाना मध्यम मोटाई वाला भूरे–पीले रंग का होता है। यह मोयला कीट रोधी किस्म है।
आर.डी. –2592	120–125	43–53	वर्ष 2002 में अधिसूचित यह किस्म सिंचित क्षेत्रों में समय पर बुवाई हेतु उपयुक्त है। लवणीय व क्षारीय भूमि में बुवाई हेतु उपयुक्त। पत्तियां/दाने हल्के पीले, मध्यम आकार के होते है। पीली व भूर रोली प्रतिरोधी किस्म।
आर.डी –2715	115–120	50–55	यह दोहरे उद्देश्य वाली किस्म सिंचित क्षेत्रों में समय पर बुवाई हेतु उपयुक्त है। पीली व भूरी रोली रोग के प्रति उच्च प्रतिरोधक। इस किस्म से 175–180 क्विंटल हरा चारा प्रति हैक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है।

किस्म	पकने की अवधि (दिन)	औसत उपज (क्विं. प्रति हैक्टेयर)	विशेष गुण
आर.डी. –2660	115–120	38–40	वर्ष 2006 में अधिसूचित यह किस्म समय पर बुवाई एवं असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह पीली व भूरी रोली रोग रोधक किस्म है।
बी.एच. –902	125–130	45–50	वर्ष 2010 में अधिसूचित यह किस्म क्षारीयता, लवणीयता व उच्च तापमान के प्रति सहनशील है। यह किस्म सभी प्रकार के रोली रोग, स्मट रोग की प्रतिरोधक है।
आर.डी. –2786	111–120	50–55	राज्य के सिंचित क्षेत्र में समय पर बुवाई हेतु उपयुक्त है। यह कम समय में पकने वाली, उच्च उत्पादक तथा रोली रोधक किस्म है।

गेहूँ की प्रमुख किस्में और उनकी विशेषताएं

किस्म	पकने की अवधि (दिन)	औसत उपज (क्विं. प्रति हैक्टेयर)	विशेष गुण
राज– 4037	10–115	40–45	वर्ष 2004 में विकसित यह किस्म समय पर बुवाई हेतु उपयुक्त है। पौधों की ऊंचाई 79 सेमी, पत्तियां मध्यम चौड़ी, मोमयुक्त हरी, बालियां मध्यम लम्बी तथा रंग पकने पर धुंधले सफेद रंग की होती हैं तथा दाने अर्ध कठोर एवं अम्बर रंग के होते हैं। बालियों में से दाने नहीं झड़ते हैं।
राज– 4083	98–100	45–48	यह किस्म सिंचित क्षेत्र में देर से बुवाई के लिए उपयुक्त है सभी रोली रोगों के प्रति प्रतिरोधक एवं उच्च ताप के प्रति अच्छी सहनशील है।
एच. आई. –1544	110–115	45–51	वर्ष 2008 में अधिसूचित किस्म, मुख्यतः राजस्थान के कोटा व उदयपुर संभाग में बुवाई के लिए उपयुक्त हैं। पौधों की ऊंचाई 85–87 से.मी. होती है।
राज– 4079	115–125	48–48	वर्ष 2011 में अधिसूचित किस्म, सिंचित क्षेत्र में समय पर बुवाई हेतु सम्पूर्ण राजस्थान में उपयुक्त है। यह किस्म सभी प्रकार के रोली रोग की प्रतिरोधक है।
राज– 4238	110–115	42–46	राजस्थान कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा विकसित किस्म है। यह वर्ष 2016 में अधिसूचित सिंचित क्षेत्र में समय पर बुवाई हेतु उपयुक्त है। यह किस्म सभी प्रकार के रोली रोग की प्रतिरोधक है।
एच.डी. –2967	135–140	48–51	वर्ष 2011 में अधिसूचित किस्म, सिंचित क्षेत्र में समय पर बुवाई हेतु सम्पूर्ण राजस्थान के लिए उपयुक्त है। यह किस्म उच्च तापमान सहनशील तथा करनालबन्ट व रोली रोग रोधी है।
के.आर. एल. –210	115–120	48–50	वर्ष 2012 में अधिसूचित किस्म, जल्दी बढ़वार व अधिक फुटान वाली होती है इस किस्म की पत्तियां मध्यम चौड़ी व मोमयुक्त होने के कारण सूखा रोधी है। यह किस्म लवणीयता के प्रति सहनशील है। यह पीली एवं भूरी रोली रोग प्रतिरोधक किस्म है।
डब्ल्यू. एच– 1105	135–142	48–50	वर्ष 2013 में अधिसूचित यह किस्म, कोटा व उदयपुर खण्ड को छोड़कर समस्त राजस्थान के सिंचित क्षेत्र में समय पर बुवाई हेतु उपयुक्त है। इस किस्म के पौधों की ऊंचाई 100 सेमी, उच्च तापमान सहनशील व पीली एवं भूरी रोली रोग रोधी है।
एम.पी. –3336	107–110	40–45	राज्य के कोटा व उदयपुर संभाग में बुवाई हेतु उपयुक्त यह किस्म वर्ष 2013 में अधिसूचित है। यह किस्म कम अवधि में तैयार होकर अधिक उपज देती है।

बीज उत्पादन क्रयनीति

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पो. लि. द्वारा सादा कागज पर किये गये अनुबन्ध के आधार पर राज्य के कृषकों से विभिन्न फसलों का बीजोत्पादन कराया जाता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बीज उत्पादक कृषकों का बीज प्रमाणीकरण शुल्क जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा वहन किया जाता है। निगम द्वारा बीज उत्पादक कृषकों को बीजोत्पादन हेतु दिये जाने वाले आधार बीज को प्रमाणित बीज की विक्रय दर पर तथा प्रजनक बीज को प्रमाणित बीज की विक्रय दर में 15 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर निर्धारित की गई दर पर दिया जाता है।

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पो. लि. द्वारा रॉ बीज प्राप्ति के समय प्रचलित बाजार दर या न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी अधिक हो, का सामान्यतः 80 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जाता है। बीज उत्पादक कृषको को प्रयोगशाला जांच में मानक पाई गई विधायित बीज मात्रा का अन्तिम भुगतान इकाई से सम्बन्धित मण्डी की एगमार्कनेट उच्चतम दरों के औसत में प्रीमियम जोड़ते हुए निर्धारित की गई क्रय दर के अनुसार किया जाता है। एगमार्कनेट की उच्चतम दरों का औसत न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बीज उत्पादन हेतु देय प्रीमियम को जोड़कर क्रय दर निर्धारित की जाती है।

क्र. सं.	फसल	मण्डी अवधि	प्रमाणित बीजों के उत्पादन पर दिये जाने वाला प्रीमियम/ उत्पादन अनुदान रु./क्विं.	
			10 वर्ष तक अवधि की अधिसूचित किस्मों हेतु	10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों हेतु
1	बाजरा (संकुल)	1–31 दिसम्बर	1250	1000
2	बाजरा (संकर)		6100	6100
3	बाजरा (चारा)		1500	1500
4	ज्वार (संकुल)		1250	1000
5	ज्वार (संकर)		4100	4100

मण्डी दर : एगमार्कनेट की उच्चतम दरों का औसत या न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी अधिक हो।

क्र. सं.	फसल	मण्डी अवधि	प्रमाणित बीजों के उत्पादन पर दिये जाने वाला प्रीमियम/ उत्पादन अनुदान रु./क्विं.	
			10 वर्ष तक अवधि की अधिसूचित किस्मों हेतु	10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों हेतु
6	ज्वार (चारा)	1–31 दिसम्बर	1500	1500
7	मक्का (संकुल)		750	750
8	मक्का (संकर)		5000	5000
9	मक्का (चारा)		750	750
10	मूंग/उड़द /अरहर/ मोठ	1–30 नवम्बर	1875	500
11	चंवला		1875	750
12	ग्वार	1–31 दिसम्बर	750	500
13	चना	15 अप्रैल –15 मई	1875	500
14	गेहूँ (श्रीगंगानगर क्षेत्र)	15 मई– 15 जून	400	200
15	गेहूँ (अन्य इकाइयां)	15 अप्रैल– 15 मई	400	200
16	जौ (श्रीगंगानगर क्षेत्र)	15 मई– 15 जून	450	200
17	जौ (अन्य इकाइयां)	15 अप्रैल– 15 मई	450	200

मण्डी दर : एगमार्कनेट की उच्चतम दरों का औसत या न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी अधिक हो।

क्र. सं.	फसल	मण्डी अवधि	प्रमाणित बीजों के उत्पादन पर दिये जाने वाला प्रीमियम/ उत्पादन अनुदान रु./क्विं.	
			10 वर्ष तक अवधि की अधिसूचित किस्मों हेतु	10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों हेतु
18	मूंगफली	15 दिसम्बर –15 जनवरी	1100	500
19	सोयाबीन	1–31 दिसम्बर	1100	750
20	सरसों/ तारामीरा	15 अप्रैल– 15 मई	1100	750
21	अलसी	15 अप्रैल– 15 मई	1100	उच्चतम दरों का औसत व 25 प्रतिशत इन्सेंटिव (अधिकतम रु.1000)
22	तिल	1–31 दिसम्बर	880 (रॉ बीज आधार पर)	800 (रॉ बीज आधार पर)
23	कपास/ अ. कपास	7 दिसम्बर – 7 जनवरी	मण्डी की उच्चतम दरों के औसत का 12 प्रतिशत	
24	ढ़ेंचा	1–31 दिसम्बर	150	
25	धान	1–30 नवम्बर	200	
26	धनिया– मैथी	15 अप्रैल – 15 मई	500	
27	सौंफ	15 अप्रैल – 15 मई	300	
28	जीरा	15 अप्रैल – 15 मई	मण्डी दर का 15 प्रतिशत अतिरिक्त देय	
29	ईसबगोल	15 अप्रैल – 15 मई	1000	

मण्डी दर : एगमार्कनेट की उच्चतम दरों का औसत या न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी अधिक हो।

क्र. सं.	फसल	प्रमाणित बीजों के उत्पादन पर दिये जाने वाला प्रीमियम/ उत्पादन अनुदान रु./क्विं.
30	जई	आर.सी.डी.एफ. द्वारा निर्धारित क्रय दर पर
31	बरसीम	आर.सी.डी.एफ/राष्ट्रीय बीज निगम/मध्यप्रदेश बीज निगम द्वारा निर्धारित क्रय दर, जो भी अधिक हो पर रु.3000 अतिरिक्त
32	रिजका	राष्ट्रीय बीज निगम/गुजरात राज्य बीज निगम द्वारा निर्धारित क्रय दर, जो भी अधिक हो पर रु.3000 अतिरिक्त
33	अरण्डी	स्थानीय बाजार भाव के अनुसार दरों का निर्धारण किया जाता है।

उक्त सभी फसलों के आधार बीज उत्पादन हेतु रु.100 प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रीमियम दिया जाता है।

सत्यचिन्हित बीजों की क्रय दरों का निर्धारण उन फसलों के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु दिये जाने वाले प्रीमियम का 75 प्रतिशत सम्बन्धित मण्डी की उच्चतम दरों में जोड़कर किया जाता है।

निर्धारित मण्डी अवधि के पश्चात आगामी 45 दिवसों में यदि मण्डी की दरों में 25 प्रतिशत या अधिक की औसत वृद्धि हो जाती है, तो अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरान्त अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान भी बीज उत्पादक कृषक को किया जाता है।

सब्जी फसलों के सत्यचिन्हित/प्रमाणित/आधार बीज उत्पादन हेतु रॉ बीज आधार पर राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा निर्धारित क्रय दर के अनुसार भुगतान किया जाता है।

बीज उत्पादन कार्यक्रम सुनिश्चित करने व उत्पादित बीजों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु उत्पादित रॉ बीज जमा नहीं करवाने, उत्पादित बीज के बजाय अन्य बीज जमा करवाये जाने, उत्पादित बीज के नमूने लगातार दो बार अमानक होने व बीज उत्पादन कार्यक्रम को किसी अन्य कृषक को स्थानान्तरित करने पर बीज उत्पादक कृषक को कालीसूचीबद्ध किये जाने का प्रावधान भी है।

बीज उत्पादक कृषक से रॉ बीज प्राप्त करते समय उसके द्वारा जमा करवाये गये बीज में किसी अन्य बीज का मिश्रण नहीं होने व आनुवांशिक शुद्धता के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों की जिम्मेदारी हेतु प्रमाण पत्र लिये जाने का प्रावधान है।

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पो. लि. द्वारा प्रमाणित व सत्यचिन्हित बीजों की आनुवांशिक शुद्धता जांचने हेतु बीजों का ग्रो आउट टेस्ट भी आवश्यतानुसार करवाया जाता है ताकि कृषकों को शुद्ध बीज उपलब्ध करवाया जा सके।

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पो. लि. द्वारा रॉ बीज पूर्व निर्धारित दिनांक तक जमा किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में रॉ बीज जमा करने की अन्तिम दिनांक को बीज प्रमाणीकरण संस्था की अनुमति उपरान्त बढ़ाया जा सकता है।

ग्राम
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर

उन्नत किसान
ख़ुशहाल राजस्थान

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंत कृषि भवन, जनपथ, सी–स्कीम, जयपुर 302 005
T: +91 141 2227513/14 | W: rajseeds.org

अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर **1800 180 1551**
पर बात करें या अपने पास के कृषि पर्यवेक्षक या अपने ज़िले के
उप निदेशक कृषि या सहायक निदेशक उद्यान विभाग के कार्यालय में सम्पर्क करें

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर

उन्नत किसान
ख़ुशहाल राजस्थान